## न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

दांडिक प्रकरण क-23/2012 संस्थित दिनांक-30.01.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर। ......अभियोजन

## विरुद्ध

नारायन पुत्र छोटेलाल उम्र 26 साल निवासी कतियापुरा चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

## —: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 12.02.2018 को घोषित)

- 01—अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 323 एवं 190 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 16.01.2012 को समय 19:30 बजे स्थान ग्राम प्राणपुर आगनबाडी केन्द्र के हैडपम्प के पास फरियादी मुरारीलाल की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की तथा लोक सेवक से संरक्षा हेतु रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.01.20102 को शाम 07:30 बजे मुरारीलाल अपने घर के सामने हैण्डपम्प के पास खडा था कि उसी समय नारायण कितया हाथ में लाठी लेकर जा रहा था, मुरारीलाल ने उससे से कुछ नहीं बोला, नारायण ने पुरानी रंजिश पर से एक लाठी मारी जो उसके सिर में लगी एक लाठी बाये पैर में मारी, घुटने के नीचे लगी और लाठियां मारी जो उसके सिर में लगी चोट होकर खून निकल आया। नारायण चिल्लाया तो लक्ष्मीनारायण, रामकुवरबाई, रेखा व लक्ष्मण आ गये, तो नारायण घटना स्थल से भाग गया। भागते हुये बोला कि रिपोर्ट की जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी मुरारीलाल द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध कमांक—31 / 2012 अंतर्गत धारा— 323, 341, 506 बी भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.02.2018 को फरियादी मुरारीलाल द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत् आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द.प्र.स. के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा 323 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त पर आरोपित भा.द.वि. की धारा 190 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।
- 04—अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूटा फंसाया गया है।
- 05-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 16.01.2012 को समय
	19:30 बजे स्थान ग्राम प्राणुर आगनबाडी के
	हैडपंप के पास लोक सेवक से संरक्षा हेतु रिपोर्ट
	करने पर जान से मारने की धमकी दी ?
	प्रस्प पर जाग स नारंग पर्रा वनपर्रा दा !

2. दोष मुक्ति अथवा दोष सिद्धि ?

## —:: सकारण निष्कर्ष ::—

- 06—अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख में आई साक्ष्य को देखते हुये अपने समर्थन में फरियादी मुरारीलाल (अ०सा0—03) सिहत घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी रेखा (अ०सा0—02), रामकुंवरबाई (अ०सा0—04) व लक्ष्मीनारायण (अ०सा0—05) के कथन न्यायालय में कराये हैं तथा चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर अजय (अ०सा0—01) के कथन भी न्यायालय में कराये गये है। रेखा (अ०सा0—03) फरियादी मुरारीलाल (अ०सा0—03) की बहन है वहीं रामकुंवरबाई (अ०सा0—04) व लक्ष्मीनारायण (अ०सा0—05) क्रमशः फरियादी मुरारीलाल (अ०सा0—03) के माता—पिता है।
- 07—फरियादी मुरारीलाल (अ0सा0—03) का अपने न्यायालीन कथनों में यह तो कहना है कि लगभग 5—6 साल शाम के समय अभियुक्त ने पुराने विवाद पर से जब वह घर के बाहर खडा था तो उसके साथ मुंहवाद किया था और उसकी लातध

रूसों से मारपीट की थी, जिससे उसके सिर में हाथ पैरों में चोट आई थी तथा चिल्लाचोट की आवाज सुनकर उसकी बहन रेखा (अ0सा0—03) मौके पर आ गई थी, जिसके बाद अभियुक्त वहां से भाग गया था तथा इस घटना के बाद रात्रि में ही उसने अपने पिता के साथ जाकर प्र.पी. 03 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी।

- 08—मुरारीलाल (अ०सा0—03) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों को बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी का प्रतिपरीक्षण न करके कोई चुनौती न करके कोई चुनौती नही दी गई जिससे मुरारी (अ०सा0—03) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन अखण्डित है, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने मुरारीलाल (अ०सा0—03) को रिपोर्ट करने जाने से रोकने के लिये या लोक सेवक की सहायता या संरक्षा प्राप्त करने से रोकने के लिये किसी प्रकार कोई धमकी दी इस संबंध में मुरारीलाल (अ०सा0—03) ने अपने मुख्यपरीक्षण में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नही दिये है।
- 09—मुरारीलाल (अ०सा0—03) को उपरोक्त बिंदू पर अभियोजन का समर्थन न करने के कारण पक्ष विरोधी कर अभियोजन के द्वारा विस्तृत परीक्षण किया गया। परन्तु किये गये परीक्षण में भी मुरारीलाल (अ०सा0—03) ने स्पष्ट रूप से अभियोजन के विरूद्ध कथन देते हुये व्यक्त किया है कि अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने जाने पर से जान से मारने की धमकी नही दी तथा मुरारीलाल (अ०सा0—03) उक्त बात अपनी रिपोर्ट प्र.पी. 03 व कथन प्र.पी. 04 में भी लेख न करना बताता है।
- 10—रेखा (अ0सा0—03) घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है कि जिसमें अभियुक्त के द्वारा फरियादी के साथ लाठी से मारपीट कर फरियादी को उपहित कारित करने की घटना की पुष्टि करते हुये अखिष्डित साक्ष्य दी है, परन्तु इस साक्षी का भी कहीं भी यह कहना नही है कि अभियुक्त ने फरियादी को रिपोर्ट करने जाने से रोकने के लिये जान से मारने की धमकी दी थी। रेखा (अ0सा0—03) का मात्र अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहना है कि अभियुक्त यह धमकी दे रहा था कि जान से खत्म कर देंगे, परन्तु उक्त धमकी लोक सेवक की संरक्षा प्राप्त करने से विरत करने के आशय या प्रयोजन से अभियुक्त के द्वारा दी गई, यह इस साक्षी ने अपने कथनों में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है।
- 11— रामकुंवरबाई (अ०सा0—04) व लक्ष्मीनारायण (अ०सा0—05) अभियोजन घटना के

अनुसार घटना के प्रत्यक्षदर्शी है, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने अपने कथनों में अभियोजन घटना के विरूद्ध व्यक्त किया है कि घटना उनके सामने नहीं हुई थी, इन दोनों ही साक्षियों का भी कहीं भी यह कहना नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को रिपोर्ट करने जाने से रोकने के लिये जान से मारने की धमकी दी।

- 12—अतः फरियादी सहित अभियोजन की ओर से परीक्षण कराये गये किसी भी साक्षी ने आरोपित शेष बचे अपराध के संबंध में अभियोजन का इस बात पर लेषमात्र भी समर्थन नही किया है कि अभियुक्त ने फरियादी को इस प्रयोजन से क्षिति की धमकी दी कि वह फरियादी को उत्प्ररित करे कि वह किसी क्षिति से संरक्षा के लिये कोई वैध आवेदन किसी लोक सेवक से विरत रहे या प्रतिविरत रहे, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसी संरक्षा करने या कराने के लिये वैध रूप से सशक्त था।
- 13—निष्टिचत रूप से फरियादी मुरारीलाल (अ०सा0—03) व रेखा (अ०सा0—03) के द्व ारा इस संबंध में अखण्डित साक्ष्य दी गई है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को शाम 07:00 बजे फरियादी के साथ मारपीट की थी तथा चिकित्सीय साक्ष्य से भी इस बात की पुष्टि होती है कि घटना के पश्चात् कराये गये चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी के सिर में दो जगह चोटें पाई थी, परन्तु यहा यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी को उपहित कारित करने के अपराध के संबंध में अभियुक्त और फरियादी का राजीनामा हो जाने के पश्चात् मात्र यह देखा जाना है कि वास्तव में अभियुक्त ने फरियादी को इस प्रयोजन से क्षित की धमकी दी कि वह फरियादी को उत्प्ररित करे कि वह किसी क्षित से संरक्षा के लिये कोई वैध आवेदन किसी लोक सेवक से विरत रहे या प्रतिविरत रहे, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसी संरक्षा करने या कराने के लिये वैध रूप से सशक्त था।
- 14—फरियादी मुरारीलाल (अ०सा०—०३) ने प्रकरण में इस बिंदू पर अभियोजन का कोई समर्थन नही किया है कि अभियुक्त ने उसे किसी प्रकार की कोई धमकी दी वहीं रेखा (अ०सा०—०३) मात्र अभियुक्त के द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी दिया जाना बताती हैं, परन्तु धमकी किस प्रयोजन से व किस वक्त दी गई, यह कहीं भी इस साक्षी ने स्पष्ट नही किया है। रामकुंवरबाई (अ०सा०—०४) व लक्ष्मीनारायण (अ०सा०—०५) घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होते हुये भी अभियोजन घटना के विरुद्ध घटना अपने सामने की न होना बताते है

तथा आरोपी के द्वारा दी गईधमकी के संबंध में भी पुलिस को कोई कथन न दिया जाना बताते है।

- 15—अतः अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है कि जिससे यह प्रमाणित होता हो कि दिनांक 16.01.2012 को शाम 07:30 बजे ग्राम प्राणपुर आगनवाडी केन्द्र हैण्डपम्प के पास ''अभियुक्त ने फरियादी को इस प्रयोजन से क्षिति की धमकी दी कि वह फरियादी को उत्प्ररित करे कि वह किसी क्षिति से संरक्षा के लिये कोई वैध आवेदन किसी लोक सेवक से विरत रहे या प्रतिविरत रहे, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसी संरक्षा करने या कराने के लिये वैध रूप से सशक्त था''।
- 16— फलतः अभियुक्त नारायण पुत्र छोटेलाल को भा.द.वि. की धारा 190 के दण्डनीय अपराध के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त नारायण पुत्र छोटेलाल को भा.द.वि. की धारा 190 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 17—अभियुक्त धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)